न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 30/2019 **दायर दिनांकः 05/02/2019**

उनवान

1. राजेन्द्र कुमार आयु 40 वर्ष पुत्र रमेशचन्द जाति ब्राह्मण निवासी कुन्जेड तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए आर.टी.एक्ट.
व धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

आदेश दिनाकः 08/02/2021

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए आर0टी0एक्ट व धारा 136 एल0आर0एक्ट का इस आशय का पेश किया है, कि वाके ग्राम एवं माल कुन्जेड पटवार हल्का कुन्जेड तहसील अटरू मे खाता संख्या 454 की ख0नं0 1826/644 रकबा 1.21 है0 किता 1 रकबा 1.21 है0 आराजी वादी के खाते दर्ज चली आ रही हैं। नकल जमाबन्दी 2074 से 2077 वाद पत्र के साथ संलग्न हैं। जो काबिल गौर हैं। वाद पत्र की मद नं0 1 मे वर्णित आराजी मे वादी का नाम विरेन्द्र कुमार पुत्र रमेशचन्द जाति ब्राह्मण निवासी कुन्जेड दर्ज है, जिसमे वादी का नाम सही नही है वादी का नाम गलत दर्ज हैं। जबकि वादी का सही नाम राजेन्द्र कुमार है। वादी के पिता द्वारा वक्त रजस्ट्री गांव का बोलता नाम लिखवा दिया था इसलिए राजस्व रिकार्ड मे भी यही नाम दर्ज हो गया तथा विद्यालय रिकार्ड व अन्य दस्तावेजो मे वादी का नाम राजेन्द्र कुमार लिखवा दिया [illegible] इसलिए वादी का नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजो मे भिन्न भिन्न हैं। वादी का [illegible] कार्ड, पहचान पत्र एवं विद्यालयो के रिकार्ड मे भी एवं अन्य दस्तावेजो मे भी राजेन्द्र कुमार है। नकल जमाबन्दी एवं अन्य दस्तावेजो में वादी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.04.05 15:52:17 IST
Reason: SelfAttested

नाम भिन्न होने से वादी को बैंक आदि से ऋण लेने व कृषि विकास करवाने मे कई प्रकार की समस्याओ का सामना करना पडता हैं। अस्तु वादी वाद पत्र की मद नं0 1 मे वर्णित आराजी मे अपना नाम विरेन्द्र कुमार के स्थान पर राजेन्द्र कुमार दुरूस्त करवाकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे दर्ज करवाने का अधिकारी हैं। जिसे बिना न्यायालय की सहायता के नही करवाया जा सकता हैं। अस्तु यह वाद माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत हैं। राजस्थान सरकार भूमि धारी होने एवं राजस्व रिकार्ड का संधारण करने के कारण आवश्यक पक्षकार बनाया जाकर वाद प्रस्तुत किया गया हैं।वाद कारण कई बार मौखिक एवं लिखित निवेदन करने के बावजूद राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दुरूस्त नही करने पर व अन्तिम बार मना कर सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की कहने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षैत्र मे उत्पन्न हुआ है। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। विवाद ग्रस्त आराजी एवं पक्षकारान तहसील क्षैत्र अटरू मे स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं।

अतः माननीय न्यायालय में वादी वाद प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि वादी के पक्ष मे प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री मय खर्चा वाद सादिर फरमाई जावे किः—

(अ) यह कि वाद पत्र की मद नं0 1 मे वर्णित आराजी मे वादी का नाम विरेन्द्र कुमार के स्थान पर राजेन्द्र कुमार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी को प्रदान करे।

(ब) यह कि अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को दिलायी जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई, प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश नही करने के करण जवाब [illegible]

साक्ष्यवादी के तहत pw1 व pw 2 [illegible] रिकार्ड EXP. करवाये गये।

अभिभाषक वादी की एक तरफा [illegible] वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में अंकित बिन्दुओं को दोहराया। तथा निवेदन किया कि प्रस्तुत रिकार्ड अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.04.05 15:52:17 IST
Reason: SelfAttested

विरेन्द्र कुमार के स्थान पर राजेन्द्र कुमार दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें। अभिभाषक वादी को सूना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत रिकार्ड जमाबंदी ग्राम कुन्जेड के खाता संख्या 454 किता 1 रकबा 1.21 है0 में खातेदार विरेन्द्र कुमार पुत्र रमेशचन्द के खाते दर्ज है। प्रस्तुत रिकार्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 1987 राजकीय माध्यमिक विद्यालय कुन्जेड का जन्म तिथी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड , सरपंच ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र दिनांक 15.1.2021 व बैंक पास बुक आई.सी.आई.सी.आई. बैंक आदि में वादी का सही नाम राजेन्द्र कुमार दर्ज है। सरपंच प्रमाण पत्र के आधार पर वादी को राजेन्द्र कुमार के नाम से व वीरेन्द्र कुमार के नाम से जाना जाता है। दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है। राजस्व रिकार्ड के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम कुन्जेड की खाता संख्या 454 किता 1 रकबा 1.21 है0 में खातेदार विरेन्द्र कुमार के स्थान पर विरेन्द्र कुमार उर्फ राजेन्द्र कुमार दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.04.05 16:52:17 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>
बइजलास. श्री राहुल कुमार मल्होत्रा (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 30/2019

उनवान

1. राजेन्द्र कुमार आयु 40 वर्ष पुत्र रमेशचन्द जाति ब्राह्मण निवासी कुन्जेड तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए आर.टी.एक्ट.</u>
<u>व धारा 136 एल.आर.एक्ट</u>

उपस्थिति :–
वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर।
प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

मिनजानित मुदई रूबरू ....X...

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम कुन्जेड की खाता संख्या 454 किता 1 रकबा 1.21 है0 में खातेदार विरेन्द्र कुमार के स्थान पर विरेन्द्र कुमार उर्फ राजेन्द्र कुमार दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीना)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X................ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X...
फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 08.02.2021 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.04.05 16:52:17 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)